केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का जुर्माने में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव

1456. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि उत्पादन कर में चोरी करने वाले अपराधियों से दंड रूप में 100 प्रतिशत लिए जाने वाले जुर्माने की दर 50 प्रतिशत की जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को लागू करने से करों की चोरी के मामलों में कमी होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया व निर्णय है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) से (घ): केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड को उत्पादक शुल्क अपवंचकों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड को मौजूदा 100% से घटाकर 50% करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं दी थी तथा इस तरह इसे सरकार के पास नहीं भेजा गया था।

थोक मूल्य सूचकांक दर का परिकलन करना

1457. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि थोक मूल्य सूचकांक दर का आकलन करते समय कतिपय वस्तुओं के मूल्यों पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कुल वस्तुओं की संख्या क्या है तथा उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ग) किस-किस वस्तु को आकलन करते समय किस-किस वर्ग की श्रेणी में लिया जाता है;

(घ) क्या इस आकलन प्रक्रिया में कतिपय खामियां पाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू० पी०आई) की वर्तमान श्रृंखला जिसका आधार 1981-82 रखा गया है, में नीचे दिए गए तीन उप-क्षेत्रकों से लिए गए 447 खरीद फरोख्त की जाने वाली वस्तुओं की थोक मूल्य सूचकांक की साप्ताहिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है:

(I) प्राथमिक क्षेत्र जिसमें खाद्य वस्तुओं और कच्ची सामग्री की 93 मदें (अधिकतर कृषि, खाद्य-भिन्न वस्तुएं और खनिज) शामिल हैं;

(II) इंधन/विद्युत क्षेत्र जिसमें कोयला, पैट्रोलियम उत्पाद और बिजली आदि जैसी 20 मदें शामिल हैं;

(III) विनिर्मित क्षेत्र जिसमें खाद्य उत्पादों, पेय पदार्थों, तम्बाकू, वस्त्र, लकड़ी, कागज, चमड़ा, रबड़ और प्लास्टिक, रसायन, गैर-धात्विक खनिज, आधारभूत धातुएं, मशीनरी, परिवहन उपस्कर और विभिन्न अन्य विविध विनिर्मित उत्पाद जैसी 334 मदें शामिल हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों से नई वस्तुएं/सेवाएं प्रयोग में आती हैं और कुछ वस्तुएं प्रयोग से बाहर भी हो जाती हैं, अतः ऐसे सूचकांक का निर्माण आवश्यक हो जाता है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करता हो। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का आधार 1981-82 है। सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखलाओं का संशोधन करने और एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करने व उन वस्तुओं के समूह पर, जिन्हें थोक मूल्य सूचकांक में शामिल किया जाना चाहिए, नए सिरे से विचार करने के लिए भी जुलाई, 1993 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

विशेषज्ञ दल की सिफारिशें अभी प्रतीक्षित हैं।

स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश व वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश के बीच अन्तर

1458. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में स्वीकृत विदेशी पूंजी निवेश की मात्रा और वास्तविक पूंजी निवेश की मात्रा में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो 1991 में उदारीकरण-नीति की घोषणा के बाद से 1997 के अंत तक कुल कितने विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई थी तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल वास्तविक विदेशी पूंजी निवेश कितना हुआ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस भारी अन्तर होने के कारणों पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

2823/RS/FCB